

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 570] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1981/पौष 7, 1903
No. 570] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1981/PAUSA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आवेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

क्र.आ: 918(अ).—आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आवेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आवेश का निर्माण करती है, अर्थात् .—

1. इस आवेश की निर्यात(नियंत्रण) 38 वे संशोधन आवेश की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (निर्यात) आदेश, 1977, में खूले सामान्य लाइसेंस-3 में, कालम-4 की क्रम संख्या-8 के सामने प्रदर्शित विद्यमान शर्त निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“निर्यात केवल सभी अनुमति किया जाएगा यदि, (क) प्रेषण के 100% उद्धार पर निःशुल्क मूल्य को शामिल करते हुए विदेशी कंता द्वारा अपरिवर्तनीय साक्ष-पत्र खोला गया हो या (ख) अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया हो, बशर्ते कि (1) अग्रिम भुगतान प्रेषण के 100% उद्धार पर निःशुल्क मूल्य को शामिल किया गया हो और (2) अग्रिम भुगतान विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्राप्त हुआ हो। किन्तु, प्रत्येक प्रेषण के साथ 20 किलो ग्राम तक प्याज का निर्यात वर्गीकृत सब्जियों के भाग के रूप में वायुयान द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।”

ई. ई.सी. ओ, 1977/एम (227)/7/13/81-ई-2।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 28th December, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 918(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3, of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This order may be called the Exports (Control) Thirty-eight Amendment Order, 1981.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, in Col. 4 the existing condition appearing against S. No. 8 shall be substituted by the following :—

“Export will be allowed only if; (a) irrevocable letter of credit has been opened by the foreign buyer covering 100 per cent f.o.b. value of the consignment or (b) advance payment has been received provided that (i) the advance payment covers 100 per cent f.o.b. value of the consignment and (ii) advance payment has been received through an authorised dealer in foreign exchange. Export of Onions upto 20 Kgs. per consignment will also be allowed by Air as a part of assorted vegetables.”

[No. E(C), 1977/AM(227)/7/13/81-E-II]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports